(251)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट–VIII   जयपुर, दिनांक :– 10 AUG 2017

आदेश

निजी खातेदारी भूमि पर 90–ए स्वीकृत कॉलोनियों में बकाया चल रहे EDC पेटे राशि लिये जाने के संबंध मे विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 दिनांक 11.05.2011 की निरन्तरता में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:–

1. बाह्य विकास शुल्क की प्रथम किश्त की राशि पट्टा व ले–आउट प्लान जारी होने से पूर्व जमा कराई जायेगी, द्वितीय किश्त अनुमोदन की दिनांक से 06 माह के भीतर बिना ब्याज के उसके पश्चात् आगामी 06 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज के साथ, तृतीय किश्त अनुमोदन से 09 माह तक बिना ब्याज तत्पश्चात आगामी 06 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज के साथ तथा चौथी किश्त अनुमोदन से 12 माह तक बिना ब्याज व आगामी 06 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करानी होगी। इस प्रकार बाह्य विकास शुल्क की सम्पूर्ण राशि अनुमोदन की दिनांक से 18 माह की अवधि में जमा की जा सकेगी।
2. उक्त समयावधि में बाह्य विकास शुल्क की राशि जमा नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् अवधि बढाई जा सकती है। इस अवधि में 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा व किसी भी किश्त की समस्त बकाया राशि जमा करानी होगी।

आज्ञा से,

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव – प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय
8/8/17